रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 2 मार्च, 2004/12 फाल्गुन, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 फरवरी, 2004

सं0 वित्त- आई0 एफ0 (सीएच) 5-3/93-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का 19) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और जन साधारण की सूचना के लिए उसे एतद् द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

यदि इन नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति के इन नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव हो, तो वह उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।

4009-राजपत्र/2004-2-3-2004 —1,415. (3617) मूल्य : एक रुपया।

उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर, यदि कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है, तो उक्त प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण नियम, 2004 है ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,.—

(क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 2000 (2000 का 19) अभिप्रेत है ।

(ख) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

3. सक्षम प्राधिकारी का अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने का अधिकार.—सक्षम प्राधिकारी को, किसी वित्तीय स्थापन या इसके अधिकारियों या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से वित्तीय स्थापना के बारे में ऐसी सूचना जैसी अपेक्षित हो के बारे पूछने की शक्ति होगी ।

4. अतिरिक्त संपत्ति अभिकरण करने की शक्ति.—(1) जहां सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है या विश्वास करने का कारण है कि किसी वित्तीय स्थापन ने संपत्ति या धन छिपाया है जो अधिनियम के अधीन कुर्क किए जाने के लिए दायी है, तो वे ऐसी संपति के अधिग्रहण करने का आदेश करके, कि ऐसे धन या संपत्ति को सरकार या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित या अन्यथा व्यवहृत न किया जाए, का आदेश कर सकेगा और मामले को अधिनियम की धारा 3 के अधीन अंतरिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए तुरन्त सरकार या प्राधिकृत अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (1) के अधीन जिस संपत्ति के बारे में अभिग्रहण का आदेश किया गया है, का कब्जा लेने के लिए सरकार के किसी अधिकारी की सहायता ले सकेगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब भी अपेक्षा की जाए तो किसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, संपत्तियों की खोज और पहचान करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, दस्तावेजों, लेखे की पुस्तकों इत्यादि के बारे में जांच अन्वेषण तथा सर्वेक्षण सहित सभी प्रकार के कदम उठाएगा ।

5. सक्षम प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन अन्तरित संपत्ति या धन का अनुरक्षण.—सक्षम प्राधिकारी, इसे अन्तरित की गई संपति या धन के अनुरक्षण और बनाए रखने के लिए सभी युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा और प्राप्त की गई, प्रबन्ध की गई और निपटान की गई संपत्ति और धन के बारे में सभी प्रकार की प्राप्त की गई आय और उपगत व्यय का अभिलेख बनाएगा और उसे विशेष न्यायालय को प्रस्तुत करेगा ।

6. सक्षम प्राधिकारी, विशेष लोक अभियोजक की सहायता करना.—सक्षम प्राधिकारी, विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने में विशेष लोक अभियोजक की ऐसी सहायता करेगा जैसी अपेक्षित हो।

आदेशानुसार,

एस0 एस0 परमार,
प्रधान सचिव (वित्त) ।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. Fin. IF (CH) 5-3/93-II, dated* 16-2-2004 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th February, 2004

No. Fin-IF (CH) 5-3/93-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Protection of interests of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules for carrying out the purpose of the Act *ibid* and hereby publishes the same in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any interested person likely to be affected by these rules has any objection or suggestion with regard to these rules, he may send the same to the principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalising the said draft rules, namely:—

DRAFT RULES

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Protection of interests of Depositors (in Financial Establishments) Rules, 2004.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requirs,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Protection of interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2000 (Act No. 19 of 2000).

(b) All words and expression used herein and not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. *The Competent Authority's right to procure additional information.*—The Competent Authority shall have the power to ask any Financial Establishment or its officers or authorised officer of the Government or a local authority or any other person to furnish such informat on as may be required in relation to Financial Establishment.

4. *Powers to seize additional property.*—(1)Where the Competent Authority is satisfied or has reason to believe that any Financial Establishment has concealed the property or money which is liable to be attached under the Act, it may order the seizure of such property by ordering that such money or property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the Government or authorized officer and shall refer the matter forth with to the Government or authorized officer for issuing the ad interim attachment order under section 3 of the Act.

(2) The Competent Authority may take the assistance of any Officer of the Government to take possession of the property in respect of which an order of seizure has been made under sub-rule (1).

(3) Any officer in charge of Police Station when required by the Competent Authority, shall take all steps, including inquiry, investigation or survey in respect or any person, place, property, documents, books of account etc. for the purpose of tracing and identifying the properties.

5. *Upkeep the property or money transferred under the control of competent authority.*— The Competent Authority shall take all reasonable care for the up-keep and maintenance of the property or money transferred to it and maintain a record of all income received and expenditure incurred in respect of the property or money received, managed and disposed of and furnish the same to the Special Court.

6. *Competant Authority to assist Special Public Prosecutor.*—The Competent Authority shall render all such assistance to the Special Public Prosecutor in conducting the cases in the Special Court, as may be required.

By order,

S. S. PARMAR,
Principal Secretary (Finance).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित